1/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 45/2019 तारीख रजू :–25.11.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

मंगल सिंह पुत्र श्री चौथमल राव जाति राव (विक्रेता व मालिक) फर्म – शुभलाभ मिष्ठान भंडार, रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर (राज0)।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 31/5/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 31.08.2019 को 03.15 पी.एम पर श्री गणेशजी मेले के दौरान दौराने गस्त फर्म– शुभलाभ मिष्ठान भंडार, रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर पर श्री गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय सी.एम.एचओ. सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। यह है कि निरीक्षण के समय आवेदक को दुकान पर मंगल सिंह पुत्र श्री चौथमल राव उपस्थित मिला जिसने अपनी दुकान पर बेसन के लड्डू व अन्य मिठाई आम जनता को विक्रय किया जाना बतलाया। आवेदक ने दुकान पर उपस्थित मंगल सिंह से दुकान का खाद्य रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/लाईसेन्स एवं पहचान पत्र की एक स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त की । यह है कि कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु बेसन के लड्डू तीन एल्यूमिनियम की ट्रे में जिसमें प्रत्येक ट्रे में लगभग 10–12 किलो बेसन के लड्डू रखे हुऐ थे। एफबीओ मंगल सिंह ने बेसन के लड्डू बेसन, घी व बूरा से निर्मित करना बताया। एल्यूमिनियम की ट्रे में रखे हुये बेसन के लड्डूओ का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विकेता नारायण प्रसाद गौतम से एल्यूमिनियम की ट्रे में में रखे हुए बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने की सूचना ... पर तैयार कर उपस्ति गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर एवं विक्रेता को देकर एक प्रति प्राप्त के हस्ताक्षर लिये गये। है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर ... एल्यूमिनियम की ट्रे में से ... एल्यूमिनियम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

ट्रे में लगभग 10–12 किलो रखे हुए बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) में से 2 किलो बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बावत खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 560/– रूपये नगद देकर खरीद कर रसीद प्राप्त की। यह है कि अवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 2 किलो बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) को अच्छी तरह मिक्स कर चार साफ सूखी व खाली कांच की शीशीयों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 40 बूंदे फोरमेलीन की प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर चारो शीशीयों के ढक्कन अच्छी तरह से टाईट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहें के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग– अलग चिपकाकर शीशीयों को अलग– अलग' अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चपकाकर शीशीयों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच– 1660 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक शीशी को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों शीशीयें पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशीयों को अपने कब्जे में लेकर मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जाकर पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान के हसताक्षर लिये गये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे समें सील मोहर कर , आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्रभ कैलाश सेन ड्राईवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 02.09.2019 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहां जमा करवाये। यह है कि नमूनों की दो सील बन्द शीशी (ii & iii part) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv part) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 02.09.2019 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधेपुर को सवयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/2183 दिनांक 19.09.19 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विश्लेष्क जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2004/एक्ट/2019/1544 दिनांक 11.09.2019 खाद्य कारोबार कर्ता को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति दी जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (सबस्टैण्डर्ड) प्रकृति का पाया गया। यह है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/ खाद्य कराबारकर्ता ने अवमानक सतर (सबस्टैन्डर्ड) प्रकृति की खाद्य वस्तु बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

1/3

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री रमेश चंद गोयल एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डूओं (बेसन, घी व बूरा निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जबाव/बहस में तर्क दिया गया कि अप्रार्थी रणथम्भौर गणेश मंदिर किला सवाई माधोपुर में फुल माला एवम् प्रसाद अदि बेचने का कार्य करता है तथा प्रसाद बनाने के के लिऐ सभी सामान जैसे बेसन, घी , बुरा अदि बाजार से खरीदता है । अप्रार्थी ने पुन : तर्क किया कि जांच रिपोर्ट में जो भी कमी पाई गयी है वह घी में पाई गई जिसे अप्रार्थी बाजार से अच्छी कम्पनी का नाम देखकर खरीदता है इसलिए अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। यह है कि अप्रार्थी द्वारा लड्डू निर्माण हेतु खरीदे गये माल यथा बेसन बुरा तथा घी का क्रय बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिया गया था किंतु उनके द्वारा प्रकरण में सिर्फ उनके पक्षकार को ही पार्टी बनाया गया है जबकि बेसन बुरा तथा घी बनाने बाली कम्पनी को भी दियें गये बिल के अनुसार पार्टी बनाया जाना चाहिए था। अन्त में अप्रार्थी के वकील द्वारा उनके पक्षकार के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2004/एक्ट/2019/1544 दिनांक 11.09.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू (बेसन, घी व बूरा निर्मित) सबस्टैण्डर्ड पाया गया जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः अभियुक्त को सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुर[illegible]नक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2(ii)) प्रकृति के खाद्य [illegible] बूरा निर्मित) का विक्रय करने का खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नि[illegible]1 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की अ[illegible]रोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31/5/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:41 IST
Reason: SelfAttested